



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270851
CG-DL-E-11032026-270851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1215]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1215]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.आ. 1272(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् किंग्गईकोंडा चोलापुरम तक बाईपास का निर्माण। (डिजाइन श्रृंखला किमी 0/000 से किमी 7/180 तक) किमी 284/500 से किमी 289/433 तक एनएच-81 [पुराना एनएच-227] का कल्लघम से मीनसुरुट्टी खंड। तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् SDRO को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने

जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के अरियालुर जिले में NH81 किमी 284/500 से किमी. 289/433 (डिजाइन चेनेज 0/000 से किमी. 7/180) के लिए अधिग्रहित की जाने वाली संरचना सहित या बिना संरचना वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: अरियालुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: उदयार्पलायम					
गांव का नाम: कुन्दवेली (ईस्ट)					
1	335/8B1A1A	निजी	ड्राय	27 (वर्ग मीटर)	0.0027
2	335/8B1B	निजी	ड्राय	8 (वर्ग मीटर)	0.0008
गांव का नाम: एलायापेरूमलनाल्लूर					
3	142/1	निजी	ड्राय	90 (वर्ग मीटर)	0.009
Total					0.0125

[फा. सं. 11015/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.O. 1272(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / Two lane with paved shoulder / four laning etc.,) maintenance, management and operation of National Highways No:81 (Old NH-227) in the stretch of land for formation of bypass to Gangaikonda Cholapuram [Design [Km.00/000 to Km.7/180] from Km.284/500 to 289/433 in the district of Ariyalur in the State of TAMIL NADU hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every Such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National Highways, Pudukkottai in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the lands to be acquired with or without structure falling NH81 in the stretch of land for formation of bypass to Gangaikonda Cholapuram [design chainage Km. 0/000 to Km. 7/180] from Km.284/500 to Km.289/433 in the district of Ariyalur in the state of Tamil Nadu.

State: TAMIL NADU			District: Ariyalur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Udayarpalayam					
Village: Kundaveli (East)					
1	335/8B1A1A	Private	Dry	27 (Square Meter)	0.0027
2	335/8B1B	Private	Dry	8 (Square Meter)	0.0008
Village: Elayaperumalnallur					
3	142/1	Private	Dry	90 (Square Meter)	0.009
Total					0.0125

[F. No. 11015/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director